

कार्यालय,

राष्ट्रीय प्रविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र।

संख्या:- प्राशिष/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

तारीख: दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय शाखा:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (पहले की संवत्सिकताओं के लिए) नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक वर्ष 2021-22 हेतु आर्य समाज स्तरीय तकनीकी शिक्षण कार्यक्रमों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2000 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु आर्य समाज को सम्बद्धता/सम्बद्धता/संवा. विस्तार/संवा. विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए वर्ष 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2000 लखनऊ द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु गिननांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उच्च में अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1E20-L.T.R. INSTI. OF TECHN. KURALI MEEBUT

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सो0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN P-PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सो0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित दिशर्षा एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क


 Principal
 L.T.R. Institute of Technology
 Kuruli, Meerut

निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन महीने (द्वितीय) कायम रहीं हेतु ₹ 30,35,000/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फर्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹ 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक सत्रा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फर्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹ 22,500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के अभाव में सम्बन्धित परीक्षा केंद्रों द्वारा निर्गत किये जाने वाले सातम्ब्रेड परीक्षा होने, और तदनुसार कार्यवाई किया जाना आवश्यक होगा। कक्षा निर्धारण समिति द्वारा यह 2021-22 हेतु कक्षा निर्धारण किया जाता है, तो कक्षा की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (3000) प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बन्ध किया जाना विनियमबन्धी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छठी एवं छठी प्रवेश द्वारा जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही कार्य किया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत सातम्ब्रेड के अनुसार निम्न-लिखित सम्बन्धित शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आर०डी०सी०ए०ए०ए०ए०ए०ए० से अन्वयेत तब हेतु 13,00,000/- प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कनवे गये निर्देशानुसार अतिरिक्त/संबन्धित/निर्देशों एवं निर्देश, प्राविधिक शिक्षा, 3000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3000 द्वारा कनवे गये निर्देशों, निर्देशों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिए उत्तर प्रदेश।
- ✓ डिप्लोमा इन फर्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाओं एवं विद्यालयों में अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इन संबंध में समस्त उपरोक्त/निम्न संबंधित कार्य होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाई के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशावली एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन से कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में भी, स्वाभाविक दायर किया गया भी प्रतिपूर्ति संबंधित आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फर्मेसी पाठ्यक्रम संबंधित कक्षा वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कक्षा/निर्देशों प्रारंभ होने के पूर्व ए०आर०डी०सी०ए० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को प्रस्तुत करना। (कक्षा अन्वयेत उन्हें प्रवेश की (कक्षा/निर्देशों के अभाव में अथवा संस्था स्तर पर संचालित) अनुमति नहीं जमाना की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आदेशों निम्नलिखित का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं उन्ही संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने का साथ 'ड्रिगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने होंगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित कक्षाओं में न्यूनतम की धराये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-पत्र, फार्मेट, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है उक्त परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त वा पर्येन किसी अन्य कार्य के लिए का र्ण है तो तत्पश्चात् संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय निरीक्षण दौरे पर यदि संस्था में भूमि, जल, पर्याप्त खाना, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0पी0पी0आई0वीरिफा के अनुरूपता परखन नहीं पाये जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दे' जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अपरा शर्तों का उपायान किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3533-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, L.T.R. INSTL OF TECHNOL. KURU/JJ MEEERUT



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव


Principal
L.T.R. Institute of Technology
Kurali, Meerut

8/10/2021 10:27 AM